



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03062025-263576
CG-DL-E-03062025-263576

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2347]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 30, 2025/ज्येष्ठ 9, 1947

No. 2347]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 30, 2025/JYAISTHA 9, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मई, 2025

का.आ. 2402(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2820(E) तारीख 18/07/2024, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा कर्नाटक राज्य के रायचूर जिले में NH150A के मौजूदा चेनेज किमी. 112.750 से कि.मी. 142.000 (लिंगासुगुर से मुदबल क्रॉस) और किमी 147.070 से किमी 149.070 (मास्की सिटी सीमा) तक (जेवरगी चामराजनगर सेक्शन) के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "1/8/2024 " को "विजया कर्नाटक" और "डेक्कन हेराल्ड" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

जबकि सक्षम प्राधिकारी को धारा 3-ग के तहत दायर आपत्ति प्राप्त हुई है, जिस पर विचार किया गया है और उसका उचित रूप से निपटारा किया गया;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

कर्नाटक राज्य के रायचूर जिले में NH150A के मौजूदा चेनेज किमी. 112.750 से कि.मी. 142.000 (लिंगासुगुर से मुदबल क्रॉस) और किमी 147.070 से किमी 149.070 (मास्की सिटी सीमा) तक (जेवरगी चामराजनगर सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: कर्नाटक			जिले का नाम: रायचूर		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: लिंगसुगुर					
गांव का नाम: हुलीगुडा					
1	63	निजी	ड्राय	0.0134893	सुंदरबाई पति स्वर्गीय सिद्रमप्पा 63/5
2	63	निजी	ड्राय	0.0134893	शरणप्पा, अदाव्वा पिता अमाटेप्पा 63/2
3	63	निजी	ड्राय	0.0134894	अदाव्वा पिता अमाटेप्पा 63/7
4	64	निजी	ड्राय	0.05087	आई.विष्णुवर्धनारेड्डी 64/2/2
5	64	निजी	ड्राय	0.0908398	विनयकुमार फूलभावी, संजयकुमार फूलभावी, सुरेखा ऐहोल, डॉ. सुजाता सी तालिकोटे 64/2/3
6	64	निजी	ड्राय	0.0726714	लक्ष्मीबाई मिराजकर 64/1/1
7	64	निजी	ड्राय	0.0436028	सुंदरबाई 64/1/2
गांव का नाम: लिंगसुगुर कस्बा					
8	17	निजी	ड्राय	0.166697	डॉ. टी एस कुप्पन्ना पुत्र शरणप्पा 17/1
9	17	निजी	ड्राय	0.0098057	हर्षवर्द्धन पुत्र जे.बी.पाटिल, चन्नप्पा पुत्र सन्ना बुडेप्पागौडा 17/6

10	17	निजी	ड्राय	0.0490285	गुरुनाथ पुत्र कालाकुसा रायभागी लिंगसागुरा 17/7
11	17	निजी	ड्राय	0.0882514	रेनम्मा देवम्मा पुत्र अमरेशा 17/8
12	17	निजी	ड्राय	0.0490285	रमेश वीरपुरा 17/9
13	17	निजी	ड्राय	0.1470956	रमेश पुत्र हिरण्यप्पा वीरपुरा मास्की 17/10
14	17	निजी	ड्राय	0.0588442	राहुल कोम्पाला पुत्र वेंकटेश लिंगसागर 17/2
15	17	निजी	ड्राय	0.0294171	टी के महमूद पुत्र इब्राहिम हाजी लिंगसागुरा 17/3
16	17	निजी	ड्राय	0.0392228	लिंगप्पा 17/4
17	18	निजी	ड्राय	0.111287	नागप्पा पुत्र बंडेप्पा 18/10
18	21	निजी	ड्राय	0.010117	बसनगौड़ा पुत्र मुदीगौड़ा, शिवाबाई पत्नी शरणगौड़ा 21/2/*
19	22	निजी	ड्राय	0.020234	वरदेन्द्र पुत्र अद्वीराव 22/*
20	23	निजी	ड्राय	0.040468	वरदेन्द्र पुत्र अद्वीराव 23/2/*
21	34	निजी	ड्राय	0.0472124	नागप्पा 34/2/2
22	34	निजी	ड्राय	0.0472127	अदप्पा 34/2/5
23	34	निजी	ड्राय	0.0377702	सुगप्पा, महनतप्पा, बासलिंगप्पा 34/1/1
24	34	निजी	ड्राय	0.0094427	अमरप्पा 34/1/2
Total				1.2595868	

[फा. सं. 12037/20/2017-KNT(P-6)/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th May, 2025

S.O. 2402(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **2820(E) Dated:18/07/2024**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.) Maintenance, management and operation of NH150A in the stretch of land from existing chainage Km. 112.750 to Km. 142.000 (Lingasugur to Mudbal cross) & from Km 147.070 to Km 149.070 (Maski City Limit) of (Jewaragi Chamarajnagar Section) in the district of RAICHUR in the state of KARNATAKA

And whereas the substance of the said notification has been published in “**Vijaya Karnataka**” and “**Deccan Herald**” both dated 1/8/2024 under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas the Competent Authority has received objections filed under Section 3-C, considered and settled the same appropriately;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land from existing chainage Km. 112.750 to Km. 142.000 (Lingasugur to Mudbal cross) & from Km 147.070 to Km 149.070 (Maski City Limit) of (Jewaragi Chamarajnagar Section) of NH 150A in the district of RAICHUR in the state of KARNATAKA

State: KARNATAKA			District: RAICHUR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Lingsugur					
Village: Huligudda					
1	63	Private	Dry	0.0134893	SUNDARABAI WIFE OF LATE SIDRAMAPPA 63/5
2	63	Private	Dry	0.0134893	SHARANAPPA, ADAVVA DAUGHTER OF AMATEPPA 63/2
3	63	Private	Dry	0.0134894	ADAVVA DAUGHTER OF AMATEPPA 63/7
4	64	Private	Dry	0.05087	I. VISHNUVARDHANAREDDY 64/2/2
5	64	Private	Dry	0.0908398	VINAYKUMAR PHULABHAVI, SANJAYAKUMAR PHULABHAVI, SUREKHA

					AIHOLE, Dr. SUJATA C TALIKOTE 64/2/3
6	64	Private	Dry	0.0726714	LAXMIBAI MIRAJKAR 64/1/1
7	64	Private	Dry	0.0436028	SUNDRABAI 64/1/2
Village: Lingsugur Kasba					
8	17	Private	Dry	0.166697	Dr. T S KUPPANNA SON OF SHARANAPPA 17/1
9	17	Private	Dry	0.0098057	HARSHAVARDHANA SON OF J. B. PATIL, CHANNAPPA SON OF SANNA BUDEPPAGOUDA 17/6
10	17	Private	Dry	0.0490285	GURUNATHA SON OF KALAKUSA RAYABHAGI LINGASAGURA 17/7
11	17	Private	Dry	0.0882514	RENAMMA DEVAMMA SON OF AMARESHA 17/8
12	17	Private	Dry	0.0490285	RAMESHA VEERAPURA 17/9
13	17	Private	Dry	0.1470956	RAMESHA SON OF HIRANYAPPA VEERAPURA MASKI 17/10
14	17	Private	Dry	0.0588442	RAHUL KOMPALA SON OF VENKATESHA LINGASAGUR 17/2
15	17	Private	Dry	0.0294171	T K MEHAMOOD SON OF IBRAHIM HAJI LINGASAGURA 17/3
16	17	Private	Dry	0.0392228	LINGAPPA 17/4
17	18	Private	Dry	0.111287	NAGAPPA SON OF BANDEPPA 18/10
18	21	Private	Dry	0.010117	BASANAGOUDA SON OF MUDIGOUDA, SHIVABAI WIFE OF SHARANAGOUDA 21/2/*
19	22	Private	Dry	0.020234	VARADENDRA SON OF ADVIRAO 22/*
20	23	Private	Dry	0.040468	VARADENDRA SON OF ADVIRAO 23/2/*
21	34	Private	Dry	0.0472124	NAGAPPA 34/2/2

22	34	Private	Dry	0.0472127	AADAPPA 34/2/5
23	34	Private	Dry	0.0377702	SUGAPPA, MAHANTAPPA, BASALINGAPPA 34/1/1
24	34	Private	Dry	0.0094427	AMARAPPA 34/1/2
Total				1.2595868	

[F. No. 12037/20/2017-KNT(P-6)/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director